uxj ifj"kn Åuk] ftyk Åuk] fgekpy izns'k ds y[kkvksa dk vads{k.k ,oa fujh{k.k izfrosnu

vof/k 04@2010 ls 03@2012

Hkkx&,d

1 ¼d½ ikjfEHkd %&

ग्यारहवें वित्त आयोग की सिफारिषों के फलस्वरूप नगर पालिका अधिनियम 1994 की धारा 255(1) में संषोधन होने व प्रधान सचिव (वित्त) हिमाचल प्रदेष सरकार की अधिसूचना संख्याः 1–376/81–फिन(एल0ए0)खण्ड–IV, दिनांक 16.10.2008 द्वारा नगर परिषदों तथा नगर पंचायतों के लेखाओं के अंकेक्षण का दायित्व निदेषक स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग हिमाचल प्रदेष को सौंपे जाने के दृष्टिगत नगर परिषद ऊना, के लेखाओं का अंकेक्षण कार्य किया गया।

vads{k.k vof/k ds nkSjku vkgj.k ,oa forj.k vf/kdkjh ds in ij fuEufyf[kr iz/kku rFkk dk;Zdkjh vf/kdkjh dk;Zjr jgs%&

iz/kku %&

Øekad	uke	vof/k
1	श्रीमती मथुरा देवी	1.4.2010 से 27.1.2011
2	श्रीमती ममता कष्यप	28.1.2011 से 31.3.2012

dk;Zdkjh vf/kdkjh%&

1	श्री राज किष्न षर्मा	19.4.2001 से 1.6.2010
2	श्री सुधीर षर्मा	2.6.2010 से 31.3.2012

¼[k½ uxj ifj"kn Åuk d y[kkvk vd{k.k vof/k 4@2010 l 3@2012 e ikb xb vfu;ferrkvk dk l lkj

Øe la[;k	vfu;ferrkvk dk lf{kIr lkj	iSjk la[;k	jkf'k yk[kk e
1	स्वीकृत बजट से अधिक राषि का व्यय	5 (iv)	269.92
2	अग्रिम राषि का समायोजन न करना	5 (v)	4.02
3	NRY योजना के अन्तर्गत Shelters up gradation के लेखाओं से वसूली योगय राषि	5 (vi)	1.00
4	गृहकर/किराया इत्यादि की राषियों की वसूली हेतु षेष	6.1	42.05
5	विकासात्मक प्रभार की वसूली न करना	6.5	0.83
6	टाऊन एण्ड कन्ट्री प्लानिंग षुल्क जमा न करना	6.6	45.59
7	सेवानिवृत कर्मचारी को अधिक भुगतान	7.1	0.24
8	उपदान का अधिक भुगतान	7.2	5030
9	गलत गणना के कारण संविदाकार को सम्भावित अधिक भुगतान	8.1	0.11
10	गलत लम्बाई दर्षाने के कारण संविदाकार को अधिक भुगतान	8.1.1	0.29
11	गलत गणना के कारण संविदाकार को सम्भावित अधिक भुगतान	8.1.2 2	1.51
12	अधिक दर दर्षाने के कारण संविदाकार को सम्भावित अधिक भुगतान	8.1.3	1.56
13	संविदाकार से आयकर की कम कटौती करना	8.1.4	0.61
14	संविदाकार को अनियमित भुगतान	8.1.5	0.64
15	सक्षम अधिकारी की अनुमति के बिना अतिरिक्त एवं प्रतिस्थापित मदों का निष्पादन	8.1.7	4.77
16	संविदाकार द्वारा निविदा में दी गई दरों को अधिलेखन (overwriting)करके अधिक भुगतान	8.2	0.82
17	सक्षम अधिकारी की अनुमतियों बिना अतिरिक्त मदों का निष्पदन	8.2.1	2.36
18	गलत गणना के कारण संविदाकार को अधिक भुगतान	8.3	0.15

19	सक्षम अधिकारी की अनुमति के बिना अतिरिक्त मदों का निष्पादन	8.3.2	4.11
20	वाहन संख्या एच0पी0–19–5454 अनियमित प्रयोग के कारण अथव्यय	9	0.71
21	एयर कन्डीषन के क्रय पर अनियमित व्यय	10	0.65
22	विभिन्न सामान का अनियमित क्रय	11	2.17

¼x½ xr vd{k.k ifronu%&

गत अंकेक्षण प्रतिवेदन के शेष पैरों पर की गई कार्रवाई का अवलोकन करने के उपरान्त नवीनतम स्थिति इस अंकेक्षण प्रतिवेदन के परिषिष्ट "XXV" पर दर्षाई गई है। गत अंकेक्षण प्रतिवेदनों के शेष पैरों पर परिषद द्वारा कोई ठोस कार्रवाई नहीं की जा रही है जो अत्यन्त चिन्ताजनक है। अतः परिषद द्वारा इन लम्बित पैरों के निपटारे हेतु विषेष अभियान/कार्रवाई करनी सुनिष्चित की जाए व अनुपालना से इस विभाग को अवगत करें ताकि अधिक से अधिक पैरों का निस्तारण सम्भव हो सके।

Hkkx & nks

2 orleku vd{k.k ,o fujh{k.k ifronu%&

नगर परिषद ऊना के लेखाओं अवधि 4/2010 से 3/2012 तक का वर्तमान अंकेक्षण सर्व श्री जितेन्द्र सिंह अनुभाग अधिकारी तथा संजीव कुमार कनिष्ठ लेखा परीक्षक द्वारा दिनांक 29.8.2012 से 18.10.2012 तक ऊना में किया गया। आय के लिए मास 3/2011, 3/2012 तथा व्यय के लिए मास 5/2010 तथा 1/2012 का चयन विस्तृत जॉच हेतु किया गया जिसके परिणामों को आगामी पैराग्राफों में समाविष्ट किया गया है।

“The audit report has been prepared on the basis of information furnished and made available by the controlling officer of the institution. The office of Local Audit Department disclaims any responsibility for any misinformation and or non information on the part of auditee”.

3 vdk{k.k 'kqYd %&

नगर परिषद ऊना के लेखाओं अवधि 4/2010 से 3/2012 का अंकेक्षण शुल्क ₹40100.00/– आंका गया है। अंकेक्षण षुल्क की राषि सैन्ट्रल बैंक आफ इण्डिया ऊना के बैंक ड्राफ्ट संख्या 051638 दिनांक 1.11.2012 के माध्यम से निदेषक स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग हि0 प्र0 षिमला –9 को भेज दी गई है।

4 foRrh; fLFkfr %&

¼i½ नगर पषिद ऊना के लेखाओं अवधि 4/2010 से 3/2012 तक की वित्तीय स्थिति परिषिष्ट "i" पर संलग्न है।

¼ii½ बैक समाधान विवरणः–

दिनांक 31.3.2012 को तैयार किए गए बैंक समाधान विवरण परिषिष्ट (ii) पर दर्षाया गया है।

5 ¼i½ ljdkj vuqnku%&

नगर परिषद द्वारा अंकेक्षण अवधि 4/2010 से 3/2012 के दौरान प्राप्त अनुदानों का षीर्षवार विवरण निम्न प्रकार से हैः–

Øe la[;k	fooj.k	ifjf'k"V
1	MPLADS	(iii)
2	VKVNY	(iv)
3	Grants received from Deputy commissioner & other Deptt.	(v)
4	Grants received from Tourism Deptt.	(vi)
5	Calamity relief fund	(vii)
6	ULB Roads	(viii)
7	13th Finance Commission Grant	(ix)
8	EWS grants	(x)
9	SJSRY grants	(xi)
10	EIUS/NSDP	(xii)

11	NFBS grants	(xiii)
12	RGURF grants	(xiv)
13	3rd SFC grant	(xv)

<u>₹12614639-44 dh jkf’k d vuqnkuk dk mi;kx e u yk;k tkuk</u>&

¼ii½ अंकेक्षण अवधि के दौरान परिषिष्ट "गअप" पर लगाए गए विवरण के अनुसार विभिन्न प्रायोजनों हेतु प्राप्त अनुदानों की राषि ₹12614639.44 करा उपयोग नहीं किया गया जिसका औचित्य स्पष्ट किया जाए तथा उपयुक्त राषि को अनुदानों की षर्तों के अनुसार षीध्र उपयोग करके उपयोगिता प्रमाण पत्र नियमानुसार सम्बन्धित विभाग को प्रेषित किए जाए तथा अनुपालना आगामी अंकेक्षण में दिखाई जाए।

¼**iii**½ **MPLADS** d rgr ₹5 yk[k gLrkrfjr dju ckj&

वर्ष 2011–12 में MPLADS grant में पत्र संख्या PLG Una (MPLADS/LS)2009–10/131–35 दिनांक 31.5.2011 के अन्तर्गत "C/O Library Bhawan in DAV Sr. Secondary School Una" के निर्माण के लिए ₹5 लाख नगरपरिषद ऊना द्वारा प्राप्त किए गए जिसे पत्र संख्या PLG*Una (MPLAD)2009–10001–52 दिनांक 28.4.2012 द्वारा DAV Sr. Secondary School managing committee को हस्तांतरित किया गया दर्षाया गया। उक्त आदेषों की प्रति/व्यय से सम्बन्धित अभिलेख लेखा परीक्षा में उपलब्ध नहीं करवाए गए जिस कारण व्यय की जांच नहीं की जा सकी। जिन्हें आगामी अंकेक्षण पर उपलब्ध करवाया जाना सुनिष्चित करें।

¼**iv**½ Lohd`r ctV l ₹26992569@& dk vf/kd 0;; djuk&

नगर परिषद ऊना का अवधि 4/2010 से 3/2012 तक का स्वीकृत बजट का व्यय की गई राषि का विवरण निम्न प्रकार था:–

वर्ष	स्वीकृत बजट	वास्तविक व्यय	अन्तर
2010–11	21407400	31702970	10295570
2011–12	21773600	38470599	16696999
			26992569

उपरोक्त विवरण से स्पष्ट हे कि नगर परषिद ने 4/2010 से 3/2012 तक स्वीकृत बजट की राषि से ₹26992569/–का अधिक व्यय किया गया। अधिक किए गए व्यय का अनुमोदन/स्वीकृति सक्षम अधिकारी से नहीं ली गई ळै। अतः म्यूनिसिपल एक्ट 1994 के नियम 251 के अनुसार निदेषक षहरी विकास विभाग का अनुमोदन/स्वीकृति प्राप्त करके व्यय को नियमित करवाना सुनिष्चित करें।

¼**V**½ ₹402482@&vfxze jkf'k dk lek;kstu u djus ckjs%&

नगर परिषद ऊना द्वारा विभागों को परिषिष्ट "XVII" पर दर्षाए गए विवरणानुसार विभिन्न कार्य के निष्पादन हेतु ₹402482/–की राषि बतौर अग्रिम प्रदान की गई तालिका से यह स्पष्ट है कि अग्रिम राषियों का समायोजन 1974 से नहीं किया जा रहा है। इन राषियों को भुगतान किए हुए लगभग 38 वर्षो का समय हो गया है। अतः मामला निदेषक षहरी विकास हिमाचल प्रदेष व परिषद के सम्बन्धित उच्च अधिकारियों के विषेश ध्यान में लाया जाता है तथा षेष बची ₹402482/–समायोजन न करने की स्थान से से सम्बन्धित अधिकारियों/कर्मचारियों से अभिलम्ब वसूल करके की राषि परषिद खाते में जमा करवाया जाए क्योंकि यह कार्य पूर्ण हो चुके है।

¼**Vi**½ **NRY** ;kstuk ds vUrxZr **Shelter upgradation** ds ysunkjksa ls ₹100700@&dh jkf'k olwyh ;ksX; 'ks"k%&

कार्यकारी अधिकारी नगर परिषद ऊना द्वारा परिषद परिषिष्ट "xviii" पर लगाए गए विवरणानुसार NRY योजना के अधीन Shelter upgradation विभिन्न लेदनदारो ंसे ₹100700/–दिनांक 31.3.2012 तक वसूली के लिए षेष थी। अतः राषि को सम्बन्धित व्यक्तियों से षीध्र वसूल करना सुनिष्चित करें।

6 vk; %&

नगर परिषद ऊना की आय के प्रमुख स्त्रोत निम्न है तथा इनसे प्राप्त आय परिषिष्ट "xix" पर संलग्न है।

6-1 ₹4205870 olfy;ksa 'ks"k%&

नगर परिषद ऊना की विभिन्न षीर्षों के अन्तर्गत निम्नानुसार दिनांक 31.3.2012 तक ₹4205870/–की वसूलियॉ षेष थीः–

क्र0सं0	विवरण	राशि	परिषिष्ट
(i)	गृहकर	3064385	(xx)
(ii)	दुकान किराया	1106425	(xxi)
(iii)	टावर नवीनीकरण षुल्क	35000	(xxii)
		4205970	

6-2 fnukd 31-03-2012 dk x`gdj ₹3064385 dh olyh 'k"k&

अंकेक्षण के दौरान यह पाया गया कि दिनांक 31.03.2012 को गृहकर के रूप में ₹3064385/–की विभिन्न करदाताओं/भवन मालिकों से वसूल की जानी थसी हिमाचल प्रदेष नगर परिषद अधिनियम 1994 की धारा 87 (प) के अन्तर्गत यदि नगर पंचायत/परिषद को देय कर समय पर प्राप्त नहीं होता है तो ऐसी स्थिति में टी0एस0 10(ए) मे ंपूर्ण सूचना तैयार करके नगर परिषद के समक्ष आगामी कार्यवाही हेतु प्रस्तुत करना अपेक्षित है तथा दोषी करतादातों के विरूद्ध उक्त नियमों के प्रावधानों के अनुसार कार्यवाही की जानी आवष्यक है। इस सम्बन्ध में दोषी तथा काफी लम्बे समय से करों का भुगतान न करने वाले करदाताओं के विरूद्ध नियमानुसार आवष्यक कार्यवाही अमल में नहीं लाई गई जिसके परिणिामस्वयप नगर पंचायत से क्रिया क्लापों पर इसका प्रभाव पा़ है तथा लम्बित राषियों में प्रतिवर्ष वृद्धि हो रही है। अतः लम्बित राषि वसूल करने हेतु षीध्र नियमानुसार आवष्यक/उचित कार्रवाई अमल में लाई जाए व अनुपालना से इस विभाग को अवगत करवाया जाए।

6-2-1 nqdkuk@LVkyk d fdjk, d :i e fnukd 31-03-2012 dk jkf'k ₹1106425@&dh olyh u djuk&

नगर परिषद द्वारा किराए पर दी गई दुकानों/स्टालों के किराए की राषि ₹1106425/–दिनांक 31.3.2012 तक वसूली हेतु शेष थी। कार्यकारी अधिकारी द्वारा किराया वसूली हेतु कोई भी नोटिस जारी नहीं किए गए थे। अतः हिमाचल प्रदेष नगर परिषद अधिनियम 1994 के दिए गए प्रावधानों के अनुसार दुकानदारों को नोटिस जारी किए जाएं तथा

नियम 258 के उप नियम (2) तथा (3) के प्रावधानों के अनुसार किराया न देने वाले दुकानदारों के विरूद्ध कार्यवाही की जाए।

6-2-2 nj l pkj dEifu;k }kjk yxk, x, ekckby Vkoj dh LFkkiuk o uohuhdj.k 'kYd dh ₹35000@&dh olyh 'k"k&

नगर परिषद क्षेत्र में मोबाईल कम्पनियों द्वारा लगाए गए टावरों की स्थापना व नवीनीकरण षुल्क की ₹35000/– दिनांक 31.3.2012 तक वसूली हेतु षेष थी। अतः इस राषि को षीध्र वसूल करना सुनिष्चित करें।

6-3 fo|r mi;kx dj dh olyh u djus ckj&

परिषद द्वारा एक पैसा प्रति यूनिट की दर से विद्युत उपयोग कर की वसूली विद्युत विभाग से की जानी थी। लेखा परीक्षा में पाया गया कि अवधि 2011–12 विद्युत उपयोग कर की वसूली की गई जिसकी वसूली षीध्र की जाए व अनुपालना आगामी लेखा परीक्षा में बताई जाए।

6-3-1 'kjkc dj dh olyh u djuk&

नगर परिषद ऊना द्वारा विभिन्न अवधियों में प्राप्त षराब कर से सम्बन्धित कोई भी अभिलेख अंकेक्षण में प्रस्तुत नहीं किया गया कि अंकेक्षण अवधि मे ंकुल कितनी बोतले षराब बेची गई इस बारे मामला सम्बन्धित विभाग से षीध्र उझाया जाए तथा उक्त अवधियों के लिए षराब कर की वसूली षीध्र करके वस्तुस्थिति से इस विभाग को अवगत करवाया जाए।

6-4 ₹8100@&dh olyh x`gLokeh l u djuk&

मॉग एवं प्राप्ति रजिस्टर के पृष्ठ 100 के अनुसार गृह संख्या 752 के गृहकर की अन्त षेष दिनांक 31.3.2012 तक ₹10125/–बनता था जिसे को दुकान संख्या 589 वर्ष 1999 में नीलामी द्वारा ₹1600/–प्रति माह किराए पर आबंटित की गई परन्तु नगर पंचायत के प्रस्ताव संख्या 159 दिनांक 14.5.2002 द्वारा इस किराए को घटाकर ₹800/–प्रति माह कर दिया गया। किराये को घटाना नगर पंचायत के हितों तथा दुकान आबंटन नियमों के प्रतिकूल था। इस सन्दर्भ में नगर पंचायत के प्रस्ताव संख्या 159 को निदेषक, षहरी विभाग हिमाचल प्रदेष द्वारा पत्र संख्या यू0एल0बी0–एच(ई)(3)–52/2003 दिनांक 9.6.2004 द्वारा रद्द कर दिया गया तथा श्री कमलदेव दुकानदार ने सब जज कोर्ट–III ऊना में इस आदेष के विरूद्ध CMA No. 45/04/03 मामला दर्ज किया। माननीय न्यायालय में दिनांक 18.1.2005 को निर्णय दिया कि

दुकानदार से ₹1600/—प्रतिमाह की दर से किराया वसूला जाए। इन आदेषों के विरूद्ध श्री कमल देव दुकानदार ने जिला सत्र न्यायाधीष के न्यायालय में मामला दायर किया जिसे कोर्ट ने इस प्रकार निर्णीत किया, "Dismissed as with drawn" इस प्रकार इस प्रकरण में नगर पंचायत द्वारा श्री कमल देव दुकानदार से ₹193014/—लम्बित किराए की वसूली दर्षाई गई है जिसे षीध्र वसूल करने के अतिरिक्त भविष्य में भी उनसे निर्धारित दर पर ही वसूली की जाए।

¼**vi**½ Jh lrh’k pUn ls nqdku ds fdjk;s dh ₹60]292@&dh olwyh u djus ckjs½&

दुकान संख्या 514, वर्ष 1998 में श्री सतीष चन्द दुकानदार को ₹600/—प्रतिमाह की दर से किराए पर दी गई। दिनांक 30.5.2009 को यह दुकान श्री अष्वनी प्रभाकर दुकानदार को पुनः आबटित कर दी गई। अभिलेख की जांच करने पर पाया गया कि श्री सतीष चन्द द्वारा कई वर्षों तक किराए का भुगतान नहीं किया गया था। नगर पंचायत द्वारा इस दुकानदार से ₹60292/— किराए की वसूली लम्बित दर्षाई गई है जिसकी वसूली षीध्र की जाए।

¼**vii**½ Jh gjftUnz [kMoky ls nqdku ds fdjk;s dh ₹68365@&dh olwyh u djus ckjs½&

दुकान संख्या 585, श्री हरजिन्द खडवाल को आबटिंत की गई थी। इस दुकानदार द्वारा नगर पंचायत को कई वर्षों से किराए का भुगतान नहीं किया गया। तहसीलदार ऊना के पत्र संख्या 756—58—रीडर—I दिनांक 5.6.2012 द्वारा "Evilation & Rent Recovery" का मामला निर्णीत किया गया तथा दुकानदार से ₹68365/—की वसूली निर्णीत/घोषित की गई है जिसे सम्बन्धित दुकानदार से षीध्र वसूला जाएं।

¼x½ fo|qr mi;ksx dj dh olwyh u djus ckjs½&

नगर पंचायत सन्तोषगढ़ द्वारा एक पैसा प्रति यूनिट की दर से विद्युत उपयोग कर की वसूली की जानी थी परन्तु नगर पंचायत द्वारा अवधि 2011—2012 के लिए विद्युत उपयोग कर की वसूली विद्युत विभाग से नहीं की है जिसकी वसूली षीध्र करके अनुपालना से इस विभाग को अवगत करें।

¼?k½ ’kjkc dj dh olwyh u djus ckjs½&

नगर पंचायत सन्तोषगढ़ द्वारा वर्ष 2010—11 के लिए कराधान विभाग से एक रूपये प्रति बोतल की दर से षराब कर की वसूली नहीं की गई है। इसके अतिरिक्त नगर पंचायत द्वारा अन्यअवधियों में प्राप्त षराब कर किस अवधि से सम्बन्धित था इसका कोई भी उल्लेख

कराधान विभाग द्वारा नहीं किया गया था तथा इस बारे में कोई अभिलेख अंकेक्षण में प्रस्तुत नहीं किा गया। अतः इस बारे मामला सम्बन्धित विभाग से उठाया जाए तथा अपेक्षित अभिलेख तैयार करन के अतिरिक्त सम्बन्धित अवधियों के लिए षराब कर की वसूली षीघ्र करके अनुपालना से इस विभाग को अवगत करवाया जाए।

¼3½ fcd fdYu 'kYd dh olyh u djus ckjs%&

नगर पंचायत सन्तोषगढ़ के परिक्षेत्र मे ंस्थापित ईंटों के भटठों से वर्ष 2011–12 में कोई भी षुल्क प्राप्त नहीं किया गया जिसके बारे में नियमानुसार कार्रवाई करके अनुपालना से इस विभाग को अवगत करवाया जाए तथा अपेक्षित षुल्क की वसूली षीघ्र की जाए।

¼p½ nqdkuksa ds fdjk;s esa fu;ekuqlkj c<+ksrjh u djuk%&

आयुक्त एवं सचिव (षहरी विकास) हिमाचल प्रदेष की अधिसूचना संख्याः एल0एस0जी0–एफ(6)–1/85 दिनांक 21.12.2000 के नियम 5 (क) में दिए गए प्रावधानों के अनुसार 5 वर्ष के उपरान्त किराए में 10% की बढ़ौतरी का प्रावधान है तथा दुकानों से नियमानुसार अनुबनध किए जाने हैं परन्तु दुकानों के अनुबन्ध निदेषक षहरी विकास विभाग द्वारा जारी दिषा निर्देषों के अनुसार दुकानादारों से नहीं किए गए जिन्हें अब करके अनुपालना से इस विभाग को अवगत करें।

¼N½ **IDSMT** ifj;kstuk ds rgr uofufeZr nqdkuksa dks fdjk, ij nsus ckjs%&

आई0डी0एस0एम0टी0 परियोजना के तहत निम्नानुसार नव निर्मित दुकानें निम्न विवरणानुसार किराए पर दी गई है परन्तु दुकानों के अनुबन्ध निदेषक, षहरी विकास विभाग द्वारा जारी दिषा निर्देषों के अनुसार दुकानदारों से नहीं किए गए जिन्हें अब करके अनुपालना से इस विभाग को अवगत करवाया जाए।

Ø0 l0	n|dku l0	n|dkunkj dk uke	vkcaVu dh frfFk	ekfld fdjk;k
1	2	श्री ब्रजेष षर्मा	5/2011	1400
2	3	श्री बजेष षर्मा	5/2011	1200
3	कैफैटेरिया	श्री राकेष तलवार	12/2011	8000

¼t½ uxj iapk;r }kjk vkfdZVsDV] tsfu;j bUthfu;j] Mªk¶Vesu ls jftLVs'ku 'kYd@ uohuhdj.k 'kYd ikIr u djus ckjsA&

म्यूनिसिपल एक्ट 1994 की धारा 203 के अनुसार नगर पंचायत मे जिन आर्किटैक्ट, जूनियर ईन्जीनियर ड्राफ्टमैन द्वारा नगर पंचायत परिक्षेत्र में निर्मित करवाए जाने वाले भवनों के नक्षे पास करने के लिए प्रस्तुत किए जाते है उनसे रजिस्ट्रेषन षुल्क/नवीनीकरण षुल्क की राषि की वसूली की जानी है परन्तु अंकेक्षण मैमों संख्या 112/2012 दिनांक 08.08.2012 के प्रत्युत्तर में सचिव द्वारा इस बारे कोई भी सूचना उपलब्ध नहीं करवाई। अतः इस प्रकरण में नियमानुसार कार्रवाई की जानी सुनिष्चित की जाए।